भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3566
दिनांक 24.07.2019/2 श्रावण, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी

3566. श्री दिग्विजय सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 में यह विश्वास दिलाया था कि कश्मीरी पंडितों को पूरी गरिमा और सुरक्षा और आजीविका के आश्वासन के साथ अपने पूर्वजों की भूमि में वापसी सुनिश्चित की जाएगी; और
(ख) वर्ष 2014 से घाटी में कितने परिवार वापस आए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): भारत सरकार का यह प्रयास रहा है कि कश्मीरी विस्थापितों को विभिन्न पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करके उनकी सुरक्षित वापसी की जाए और घाटी में उनके लौटने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाए।

प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 07 नवंबर, 2015 को घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के तहत, भारत सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए 1,080 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार की 3,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने और 920 करोड़ रुपए की लागत से कश्मीर घाटी में 6,000 ट्रांजिट आवासों का निर्माण किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया है। ये आवास उन कश्मीरी विस्थापितों को दिए जाएंगे, जिन्हें पीएमआरपी-2008 के अंतर्गत सृजित 3000

रा.स.अ.प्र.सं. 3566

नौकरियां दी गई हैं अथवा जिन्हें प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 के अंतर्गत सृजित 3000 अतिरिक्त नौकरियां प्रदान की जा रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा कश्मीरी विस्थापितों के लिए अनुमोदित किये गये कुल 6000 नौकरियों में से, सभी पद भर्ती करवाने वाली एजेंसियों को अधिसूचित किए जा चुके हैं और 3372 नौकरियां पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं। साथ ही, 6000 अनुमोदित ट्रांजिट आवासों में से 474 पूरे हो चुके हैं।

भारत सरकार कश्मीरी विस्थापितों को दी जाने वाली मासिक नकद राहत की भी प्रतिपूर्ति करती है, जिसे मई, 2015 में 6600/- रुपये से बढ़ाकर 10,000/- रुपये प्रति परिवार कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, इस नकद राहत को जून, 2018 में 10,000/- रुपये से बढ़ाकर 13,000/- रुपये प्रति माह किया गया है। भारत सरकार जम्मू और कश्मीर की सरकार द्वारा कश्मीरी विस्थापितों को दिये जा रहे बुनियादी सूखे राशन, जो जरूरतमंद विस्थापितों को प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल और 2 किलो आटा तथा प्रति परिवार 1 किलो चीनी प्रति माह की दर से दिया जाता है, पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति भी करती है।

साथ ही, भारत सरकार दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बसे हुए कश्मीरी विस्थापितों को दी जाने वाली मासिक नकद राहत की प्रतिपूर्ति भी करती है।

******